



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 84/2020
GST Circular No. 45/2020

2018/AC-II/1/52

28th October, 2020

General Managers
All Zonal Railways/Production Units

Sub: Submission of GST Annual Return for FY 2018-19

Ref: Railway Board's letter dated 30th September, 2020 (RBA No. 077/2020)

Please connect to Board's circular ibid wherein last date for submission of GST Annual Return for FY 2018-2019 was notified as 31.10.2020. In this regard, it is brought out that Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) vide press release dated 24th October 2020 has further extended the hitherto notified date and **31st December 2020** has been notified as the revised date by which annual return under GSTR-9 for FY 2018-19 can be filed.

In light of such extension in filing of annual return, all Principal Railways are requested to ensure GST compliances in consultation with their GST consultants. PDF version of GSTR-9 filed by Principal Railways may be sent through mail at v.prakash@nic.in.


(V.Prakash)

Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board.
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi.
6. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 84/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 45/2020

2018/एससी-II/1/52

28 अक्टूबर, 2020

महाप्रबंधक

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 077/2020)

कृपया बोर्ड के पूर्वोक्त परिपत्र का अवलोकन करें जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31.10.2020 अधिसूचित की गई थी। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपनी दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के तहत अब तक अधिसूचित की गई तारीख को आगे बढ़ा दिया है और 31 दिसम्बर, 2020 को संशोधित तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जब तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न भरी जा सकती है।

वार्षिक रिटर्न को भरने के लिए अवधि में किए गए ऐसे विस्तार के मद्देनजर, सभी प्रधान रेलों से अनुरोध है कि वे अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रधान रेलों द्वारा भरे गए जीएसटीआर-9 के पीडीएफ संस्करण को ईमेल के माध्यम से v.praakash@nic.in पर भेजा जाए।

(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान वित्त सलाहकार सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां;
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक;
3. सभी निदेशक, जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंधक निदेशक, रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली।